

श्री. धीरज का पेशा कर प्रार्थना-पत्र में उल्लेखित
अनुवाद-निवेदन करने तथा उभयपक्ष विद्वान
अधिवक्ता की बहल पर छाड़ मनन स्वीकार
किया जाऊ अचित प्रतीत होता है निर्णय
पृष्ठक से लिखा जाऊ श्राणिक मिशाल है।
अप्राधी मागीरपत्र की कोट श्री. रामदेव
विराजे ने एकालतनाम पेश किया श्री. रामदेव
मिशाल है। प्राधी वकील संशोधित श्राणिक पेश
करे। पत्रावली विप्राधी जवाब हेतु 01/05/2024
को पेश है।

2015/21 पत्रावली पेश हुई। प्राधी व विप्राधी वकील उप
पत्रावली संशोधित श्राणिक व विप्राधी जवाब
का इंतजार होकर 13/5/2024 को पेश है।

13/6/21 पत्रावली पेश हुई। प्राधी वकील उप
वकील ने संशोधित श्राणिक पेश किया। विप्राधी
संख्या 5 के वकील उप पत्रावली विप्राधी व
5 के जवाब का इंतजार होकर 24-6-2024
को पेश है।

24.6.25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारम वकील उपस्थित।
विप्राधी व. 5 ने बिना जवाब पेश किये
पत्रावली में सीधे बहल का निवेदन किया।
दोशने बहल उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता ने
प्रार्थना-पत्र के संबंध में उल्लेखित बिंदुओं

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना



2024/60

अमरा वनाम देवा

अला

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद में प्राथमिक डिब्री जारी हो चुकी है जो अंतिम डिब्री होना तय है। अतः उक्त अपील में जारी अंतिम डिब्री निषेधाज्ञा को ताफैसला कर्फा करने का निवेदन किया।

पंजावली में सेलन दस्तावेजों का अग्रानुबंध अवलोकन किया तथा विज्ञान अधिकारी की उपलब्ध परामर्श किया। वकुलाम सहमति व मूल वाद में प्र जारी होने से न्यायालय में प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर पंचार मण्डल धोरीमना के राजस्व ग्राम खरड के खुसरा संख्या 812/753/0.0776 है. कि. छा. दो व खुसरा संख्या 813/753/0.2138 है. कि. छा. दो में न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिब्री निषेधाज्ञा दिनांक 15.03.2024 को मूल वाद के फैसल होने तक ताफैसला कर्फा किया जाता है। पंजावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नहीं है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

जीसीएम
तारीख